सत्यमेव जयते

सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 07 चैत्र, 1945 (श०) / 28 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 167

(1)	शिक्षा विभाग	..	..	89
(2)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	..	07
(3)	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	..	..	21
(4)	समाज कल्याण विभाग	..	..	14
(5)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	..	05
(6)	खान एवं भूतत्व विभाग	..	..	07
(7)	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	..	02
(8)	परिवहन विभाग	..	..	16
(9)	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	..	04
(10)	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	..	02
			कुल योग --	167

छात्रों का सत-प्रतिशत नामांकन

*2613. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 जनवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''स्नातक विश्वविद्यालयों में छात्रों का टोटल, 40 फीसदी सीटें रह गई खाली'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वि0आर0वी0यू0, मुजफ्फरपुर में 84 हजार, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में 1 लाख 26 हजार, तिलकामाँझी वि0 विश्वविद्यालय, भागलपुर में 8 हजार, मुंगेर वि0 वि0 मुंगेर में 50 हजार सहित अन्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-25 स्नातक में 40 फीसदी सीट खाली रह गई है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के सत-प्रतिशत नामांकन कराने के लिये कौन-सा उपाय करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2614. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर के ग्राम पंचायत खुरहान मिलिक स्थित मध्य विद्यालय, खुरहान मिलिक के प्रागंण में स्टेडियम का निर्माण नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मध्य विद्यालय, खुरहान मिलिक के प्रागंण में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा प्रदान कराना

*2615. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के सोन नदी से निर्बाध गति से बालू निकासी से सड़क तथा फसल की क्षति के अलावे सोन तटीय गाँवों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल का संकट हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के कलेर प्रखंड के कमता मठिया, सोहसा, लक्ष्मणपुर बाथे, अरवल प्रखंड के शाही मोहला में चापाकल सूखने लगा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुये बालू खनन के नियमावली के आधार पर सोन तटीय गाँवों में चापाकल लगाने एवं किसानों के फसल की सुरक्षा, खनन विभाग द्वारा सड़कें मरम्मती व अन्य नागरिक सुविधा प्रदान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा केन्द्र गृह जिला में करना

*2616. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से संबंध अंगीभूत सीवान तथा गोपालगंज जिला के कॉलेजों का पी0जी0/यू0जी0 का परीक्षा केन्द्र इन जिलों में न होकर छपरा में निर्धारित होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान तथा गोपालगंज जिलों के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले गरीब पृष्ठभूमि के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से संबंध/अंगीभूत कॉलेजों के पी0जी0/यू0जी0 का परीक्षा केन्द्र गृह जिले में ही निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2617. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी वर्ष 2016 से ही लागू है परंतु सीमावर्ती राज्यों के सीमाओं पर समुचित इंतजाम नहीं होने के कारण सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की आपूर्ति सतत् होती रहती है, जिससे पूर्ण शराबबंदी के लिये दृढ़संकल्पित सरकार के इस निश्चय का पूर्णरूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सीमावर्ती राज्यों से शराब की अवैध आपूर्ति को रोके जाने हेतु कबतक ठोस कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परमिट निर्गत करना

*2618. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सभी व्यावसायिक जनता मालवाहकों का राष्ट्रीय एवं राज्य परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जाता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सभी प्राधिकारों को दिनांक 23 जनवरी, 2023 से बिना किसी अधिसूचना के परमिट निर्गत करने से वंचित कर दिया गया है जिससे आमवाहन मालिकों को काफी परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों को पूर्ववत परमिट निर्गत करने का अधिकार देने विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*2619. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 8 अक्टूबर, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''राज्य के शिक्षण संस्थानों में 14 वर्षों से नहीं हुई लाइब्रेरियन की भर्ती, इंतजार में 50 हजार अभ्यर्थी'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार के नियमावली के अनुसार प्रत्येक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कनीय पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में 20 हजार से अधिक पद रिक्त रहने के कारण किताबों के रख-रखाव तथा रजिस्टर मेंटेन करने का काम प्रभावित हो रहा है, जबकि 50 हजार से अधिक छात्र लाइब्रेरियन से उत्तीर्ण भर्ती के इंतजार में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त रिक्त पदों पर कबतक नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*2620. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण गरीब परिवार के कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने तथा स्कूल जाने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसके लाभान्वित 0 से 5 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलायें होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड हुलासगंज के मानोबिगहा एवं घोषी प्रखंड के प्रावन पंचायत के आजाद नगर का केन्द्र काफी दूर पर स्थित है जिसके कारण लम्बी दूरी तयकर छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को आने-जाने में कठिनाई और थकान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव में मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है । मानोबिगहा, हुलासगंज प्रखंड में केन्द्र नहीं रहने की स्थिति में बगल के केन्द्र से लाभुकों का लाभ दिया जाता है । बगल के केन्द्र सुलेमानपुर से मानोबिगहा की दूरी लगभग 1 किलो मीटर है ।

घोषी प्रखंड के प्रावन पंचायत के आजाद नगर में केन्द्र नहीं रहने की स्थिति में बगल के केन्द्र से लाभुकों को लाभ दिया जाता है । उक्त केन्द्र से गाँव की दूरी लगभग 500 मीटर है ।

(3) उपर्युक्त खंडों में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है । भारत सरकार से अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर सरकार आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ।

डिग्री कॉलेज स्थापित करना

*2621. श्री लखेंद्र कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-130 पातेपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला का सबसे बड़ा प्रखंड पातेपुर है, जो महुआ अनुमंडल में पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या हाजीपुर जाना पड़ता है, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा डिग्री कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मार्च, 2022 में स्वीकृत एवं जमीन का एन0ओ0सी0 भी प्राप्त हो चुका है परंतु डिग्री कॉलेज स्थापित नहीं की गई है, जिस कारण छात्र एवं छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित अनुमंडल में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

त्रुटि का निराकरण कराना

*2622. श्री नरेन्द्र नारायण यादव (क्षेत्र संख्या-70 आलमनगर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मधेपुरा अन्तर्गत प्रखंड आलमनगर, प्रखंड-चैसा, प्रखंड पुरैनी, प्रखंड उदाकिशनगंज के अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को पूर्व से पेंशन मिल रहा था ;

(2) क्या यह बात सही है कि डी0बी0टी0 के माध्यम से बहुत पेंशनधारियों के खाते में राशि नहीं जा रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चारों प्रखंडों में कैम्प लाकर त्रुटि का निराकरण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जांच कराना

*2623. श्री विजय कुमार मण्डल (क्षेत्र संख्या-210 दिनारा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के ग्राम पंचायत-तिरहुता में श्री ज्ञानचंद्र जनता उच्च विद्यालय में वर्ष 2008 से लेकर आजतक सरकारी राशि को खर्च किए जाने में अनियमितता किया गया है इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार जिलाधिकारी एवं विभागीय पदाधिकारी को आवेदन जांच हेतु दिया गया है, जिसपर माध्यमिक शिक्षा कार्यालय बुद्ध मार्ग, पटना के पत्रांक 09/सा0प्र0आ0-177/2022/2617, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, दरभंगा प्रमंडल को पत्र दिया गया है जिसपर आजतक न जांच की गई न ही कोई कार्रवाई की गयी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उच्च विद्यालय में हुई अनियमितता की जांच एवं इसके लिए दोषी पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्कूल भवन का निर्माण

*2624. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के सिकटा प्रखंड के सिकटा धागड़ टोली एवं पुरैनाडीह प्राथमिक विद्यालय भूमि की उपलब्धता के बावजूद भवनहीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मैनाटांड प्रखंड के झझरी गाँव के 700 से अधिक छात्र-छात्राओं वाले मध्य स्कूल के बच्चे भवन के अभाव में स्कूल के बरामदे और रास्ते वाले गलियारे में बैठकर पढ़ते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भवनहीन विद्यालयों के स्कूल भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान राशि का भुगतान

*2625. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि काफी लम्बे समय से सड़क दुर्घटना से हुए मृत्यु के आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हमीरउद्दीन, पिता-स्व0 मोइनउद्दीन, साकीन पलासमनी वार्ड-02, थाना-बहादुरगंज, थाना-किशनगंज एवं समेरून निशा, पति-स्व0 मो0 पलानु, साकीन-सिकरेहार, वार्ड नं0-15, फिलचिली, थाना-बहादुरगंज, जिला-किशनगंज अनुदान राशि का भुगतान नहीं होने से आश्रित परिवारों को भूखमरी से गुजरना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मृतक के आश्रितों को अनुदान राशि का भुगतान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाना

*2626. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की पात्रता में बी0एस0सी0 क्लीनिकल सायकोलॉजी, बी0सी0ए0, एम0सी0ए0, बी0एस0सी0, रेडियोलॉजी को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण इस विषय में पढ़ने वाले छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपर्युक्त विषयों को भी क्रेडिट कार्ड की पात्रता में सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का जीर्णोद्धार

*2627. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के शिवयदूनी उच्च विद्यालय के बगल में स्थित स्टेडियम की स्थिति अत्यंत जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

वाईफाई की सुविधा देना

*2628. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ० जा०))--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार सभी गांवों में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत वाईफाई से जोड़ने जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ एवं पुनपुन प्रखंड में आजतक वाईफाई की सुविधा प्रदान नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फुलवारीशरीफ एवं पुनपुन प्रखंड में वाईफाई की सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवनों का जीर्णोद्धार

*2629. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावां)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला अंतर्गत अस्थावां विधान सभा क्षेत्र के बिन्द प्रखंड स्थित अमरावती उच्च विद्यालय +2 एवं अस्थावां प्रखंड स्थित नोआवा-उगवां उच्च विद्यालय +2 का भवन जर्जर स्थिति में है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त उच्च विद्यालय +2 होने के बावजूद नये भवन से वंचित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त उच्च विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार करते हुए नये अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2630. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलांतर्गत दुल्हिनबाजार प्रखण्ड के सदावह पंचायत के खपुरी गांव में प्राथमिक विद्यालय का भवन क्षतिग्रस्त व जर्जर रहने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूसरे पंचायत के गांव में जाना पड़ता है और गरीब परिवारों के कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार दुल्हिनबाजार प्रखण्ड के खपुरी गांव में प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महोत्सव का आयोजन

*2631. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के चकिया प्रखण्डान्तर्गत ऐतिहासिक सीताकुंड धाम अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019 में सीताकुंड महोत्सव को बिहार सरकार के सांस्कृतिक कैलेन्डर में शामिल किया गया लेकिन अबतक सीताकुंड धाम में सरकारी स्तर पर महोत्सव का आयोजन नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्ष 2023 से रामनवमी के दिन सीताकुंड धाम पर सीताकुंड महोत्सव आयोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2632. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत प्रखंड चवाड़ा के ग्राम-धारी तथा माने दलित टोला में ग्रामीणों के लिये सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा प्रतिवेदित है कि शेखपुरा जिला अन्तर्गत प्रखंड चवाड़ा के ग्राम धारी में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराया गया है, जबकि प्रखंड चवाड़ा के ग्राम-माने में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार सरकारी भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

ओपेन विद्यालय की शाखा स्थापित करना

*2633. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मिकिनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 एवं ठकराहा प्रखण्ड में इंदिरा गाँधी नेशनल ओपेन विद्यालय की स्थापना आजतक नहीं हुआ है, जिसके कारण उक्त दोनों प्रखण्डों के छात्र-छात्राओं को टेक्निकल एवं नन टेक्निकल डिग्री प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों प्रखण्डों में इंदिरा गाँधी नेशनल ओपेन विद्यालय की शाखा कबतक स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्कूलों से बच्चों को बाहर होने से रोकना

*2634. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 27 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "वापसी की चुनौती 2014 में 8वीं तक स्कूलों में 2.06 करोड़ थे छात्र, 1.75 करोड़ हो गये" क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों में राज्य में एक से 8वीं तक के 19 लाख बच्चों ने स्कूल से ड्राप आउट किया है, जिनमें से मात्र 6 लाख की ही पुनः स्कूलों में वापसी हुयी, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के स्कूलों में से बच्चों के बाहर होने से रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2635. श्री बागी कुमार वर्मा (क्षेत्र संख्या-215 कुर्था)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर

अन्तर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैराडीह में एकमात्र कमरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में काफी असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खैराडीह का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नामकरण करना

*2636. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर ने ज्ञापांक 217, दिनांक 4 मई, 2022 द्वारा बैरिया बस स्टैंड, मुजफ्फरपुर का नामकरण अमर शहीद बैकुण्ड शुक्ल के नाम पर करने संबंधि पत्र सचिव, परिवहन विभाग, बिहार को प्रेषित किया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल का नामकरण शहीद बैकुण्ड शुक्ल के नाम पर करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना

*2637. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पर्यावरण दृष्टिकोण से 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम उपयोग किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध एवं उपयोग करने वाले पर कठोर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 571(अ), दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम द्वारा 4(2) में किये गये संशोधन में उल्लेखित सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 525, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 द्वारा राज्य की परिसीमा के भीतर दिनांक 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पॉलीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है--

(क) प्लास्टिक की डंडियाँ वाले इयर-बड्स, प्लास्टिक की डंडियाँ वाले बैलून, प्लास्टिक के झंडे, कैन्डी-स्टीक, आईस-क्रीम के प्लास्टिक की डंडियाँ, पॉलिस्टाइरीन (थर्मोकॉल) की सजावट में उपयोग।

(ख) प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे काँटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, आमंत्रण कार्ड एवं सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लपेटने अथवा पैक करने वाले प्लास्टिक के फिल्म, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक अथवा पी०वी०सी० के बैनर।

उपरोक्त प्रतिबंध कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुयी वस्तुओं पर लागू नहीं होगें।

(2) उत्तर आँशिक रूप से स्वीकारात्मक है । राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर अथवा दुकानदारों द्वारा इसे उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

• राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स', जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में 'जिला स्तरीय टास्क फोर्स' एवं अनुमंडल स्तर पर 'अनुमंडल स्तरीय टास्क फोर्स' का गठन किया गया

है। इन टास्क फोर्सों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की नियमित समीक्षा की जाती है।

• प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के सफल क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा Policy Document के साथ एक "Compresensive Action Plan for Elimination of Identified Single Use Plastic (SUP) for State of Bihar" बनाया गया है, जिसे सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है।

• प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा 'बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-विधि, 2018 को अधिसूचित किया गया है। इसके तहत प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिये सभी नगर निकायों में सिटी स्क्वाड/टास्क फोर्स का गठन कर इसके उपबंधों के क्रियान्वयन के लिये इन्हें प्राधिकृत किया गया है। साथ ही उल्लेखित उप-विधि की अनुसूचि-1 में उल्लंघनकर्ताओं पर दण्ड, जब्ती इत्यादि के लिये प्रशासन चार्ज लगाने का प्रावधान किया गया है।

• भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में दिनांक 12 अगस्त, 2021 को नियम 4(2) में किये गये संशोधन के अनुरूप बिहार सरकार द्वारा गजट अधिसूचना संख्या 39, दिनांक 11 जनवरी, 2023 को एक प्रारूप 'बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन उप-विधि, 2022' अधिसूचित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाये गये प्रतिबंध के आलोक में आवश्यक संशोधन किया गया है।

• नगर निकायों द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध 338 धावा दलों का गठन कर कुल 24806 दुकानों पर छापामारियाँ की गयी है, जिसमें 3231 चालन निर्गत किये गये है। इसमें कुल रुपये 31,07,812 (इक्कतीस लाख सात हजार आठ सौ बारह) मात्र का अर्थदण्ड एवं 11982 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किये गये हैं।

नगर निकायों द्वारा नियमित छापामारियाँ की जाती है।

• अरेराज नगर परिषद् द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे इकाई पर छापमारी कर लगभग 07 टन प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया है।

• अररिया जिला के फारबिसगंज में कस्टम अधिकारियों द्वारा 9 टन प्रतिबंधित कैरी बैग जब्त किया गया है।

• पर्षद् के पदाधिकारियों एवं नगर परिषद्, दानापुर निजामत के पदाधिकारियों द्वारा पटना के दानापुर में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल प्लास्टिक गिलास का उत्पादन करने वाली दो इकाइयों पर छापामारी कर लगभग 02 टन माल जब्त किया गया।

• पर्षद् के सदस्य-सचिव द्वारा अपने पदाधिकारियों एवं दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ बेला औद्योगिक क्षेत्र, दरभंगा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन कर रहे दो इकाइयों पर छापामार कर 9 टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया।

• पर्षद् द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन करने वाली इकाइयों का संचालनार्थ सहमति रद्द कर दिया गया है।

• पर्षद् द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के सभी हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गयी है।

• राज्य सरकार एवं पर्षद् द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों में जागरूकता अभिवर्धित करने के लिये सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो जिंगल्स, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स, स्टीकर्स इत्यादि उपयोग किया जाता रहा है। इस क्रम में 'जागरूकता रथ' को भी रवाना किया गया है।

• पर्षद् द्वारा थर्मोकोल एवं प्लास्टिक के चिन्हित एकल उपयोग उत्पादों पर प्रतिबंध पर जागरूकता के लिये एक चित्रित 'मार्गदर्शिका पुस्तिका' का प्रकाशन किया गया है।

सेवा का सामंजन करना

*2638. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 1989 में दक्षिण भारतीय भाषा संस्थान, पटना, बिहार में कार्यालय परिचारी के पद पर तीन योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें से दो कार्यालय परिचारी का वर्ष 2006 में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना, बिहार में सेवा सामंजन कर दिया गया, शेष एक कार्यालय परिचारी जो अभीतक उक्त संस्थान में ही कार्यरत हैं, यदि हाँ, तो सरकार एक परिचारी को छोड़कर दो कार्यालय परिचारी के सेवा का सामंजन करने का औचित्य क्या है ?

वित्तीय प्रबंधन को ठीक करना

*2639. श्री राजेश कुमार (क्षेत्र संख्या-222 कुटुम्बा (अ०जा०))--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 03 फरवरी, 2023 के अंक में छपी खबर के शीर्षक ''5 सालों में वि०वि० खर्च नहीं कर पाये 3293 करोड़'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय प्रबंधन में कमियों के कारण राज्य के विश्वविद्यालयों को पिछले पांच वर्षों में दी गई 17835.08 करोड़ में से मात्र 14541.25 करोड़ की राशि ही खर्च हो पाई है, शेष 3293 करोड़ की राशि सरेंडर हो गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन को ठीक करने के लिये कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुन: चयनित करना

*2640. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत कौआकोल प्रखंड में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भवरकोल में विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव के पद पर श्रीमती बिंजा देवी का चयन दिनांक 18 अप्रील, 2022 को नियमानुकूल हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कौआकोल के पत्रांक 49, दिनांक 11 फरवरी, 2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के मौखिक आदेश पर चयनित सदस्य को हटाकर श्रीमती गुड़िया देवी को नियम के विपरीत सचिव बना दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियमानुकुल चयनित सचिव को पुन: चयनित करते हुये दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जांच एवं स्थानांतरण करवाना

*2641. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ०जा०))--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनिल कुमार, खनन पदाधिकारी, सहरसा एवं इस्पेक्टर सचीन कुमार 03 वर्षों से कई जिलों के खनन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कई वर्षों से पदस्थापित रहने के कारण इनके द्वारा नामित गाड़ियों का पार्किंग लेकर ट्रक-टैक्टर छोड़ना एवं जिसका पार्किंग नंबर नहीं है उसे भी गलत तरीके से पैसा लेकर छोड़ने का कार्य किया जाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पतरघट प्रखंड में भी किसानों के द्वारा अपने खेतों मिट्टी कटाई पर मनमाने तरीके से पैसे की वसूली इनके द्वारा किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके क्रिया-कलापों की हुये अन्यत्र स्थानांतरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*2642. श्री अमरजीत कुशवाहा (क्षेत्र संख्या-106 जीरादेई)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कबीर अंत्येष्टि की राशि का भुगतान लाभार्थी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के अनुशंसा से होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के भोरे पंचायत के लाभार्थियों का कबीर अंत्येष्टि की राशि वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 तक का बाकी है जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, भोरे द्वारा अनुशंसा नहीं करने के कारण लाभार्थियों का भुगतान नहीं किया जा सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कबीर अंत्येष्टि का बकाया राशि का भुगतान पंचायत के लाभार्थियों को कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियमों का निर्माण

*2643. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के शाहपुर पटोरी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम का निर्माण वर्ष 2012 में तथा मोरवा प्रखंड का सोंगर पंचायत में वर्ष 2017 में स्टेडियम का निर्माण कराया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा उपरोक्त स्टेडियमों का रख-रखाव और अनुरक्षण नहीं कराने के कारण स्टेडियम ध्वस्त हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों स्टेडियमों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन बनाना

*2644. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी, ग्राम पंचायत भलुआ के ग्राम पिपराही (भलुआ) में कोर्ड संख्या 81835 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित है, जो भवनहीन है जबकि भूमि उपलब्ध है यह इलाका पूर्णत: असामाजिक तत्वों का गढ़ बना रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि एन०एच० 02 पर ग्राम-भलुआ में स्वास्थ्य उप-केन्द्र के बगल में सरकार भूमि, जिसका खाता सं० 40 प्लॉट सं० 135, रकबा, 1.50 एकड़ उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर उच्च विद्यालय भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2645. श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के ग्राम पंचायत, सलैया के ग्राम-हसनपुर में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर है, जिसका स्कूल भवन नहीं होने से यूनिट किसी दूसरे स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बेला में चला गया है, दोनों स्कूल की दूरी लगभग 3 कि०मी० पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हसनपुर के नाम से जमीन की रजिस्ट्री 05 वर्ष पूर्व हुई है परंतु अभीतक भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत, सलैया के ग्राम-हसनपुर में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, हसनपुर में यूनिट को वापस लाने के साथ भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का संचालन

*2646. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा प्रखंड के ग्राम पंचायत, पथरा उत्तर, वार्ड नम्बर 5 के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, संथाली टोला एवं वार्ड नम्बर 1 के प्राथमिक विद्यालय, दसिया को दूसरे विद्यालय में टैंग कर दिया गया है, जबकि विद्यालय को अपना भवन, किचेन शेड एवं शौचालय बना हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित विद्यालय को छोटे-छोटे बच्चे लगभग 2 से 3 किलो मीटर की दूरी तयकर अन्यत्र स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाते हैं, जिससे अभिभावकों के अलावे बच्चों को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (1) में वर्णित स्थानों पर विद्यालय संचालन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक नियोजन

*2647. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-5 लौरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के उच्च विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद पर एस0टी0इ0टी0 और बी0एड0 पास सामाजिक विज्ञान अभ्यर्थियों (वर्ष 2011-12) का नियोजन अभीतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तृतीय शिक्षक नियोजन में लोक एवं अनौपचारिक शिक्षकों को 20 प्रतिशत वेटेज अंक दिया गया था जबकि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को शिक्षक नियोजन में मात्र 5 प्रतिशत ही वेटेज अंक देने का प्रावधान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एस0टी0इ0टी0 एवं बी0एड0 (वर्ष 2011-12) उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को भी सातवें चरण शिक्षक नियोजन में 20 प्रतिशत वेटेज अंक देने का विचार कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन बनवाना

*2648. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगाँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर में स्थित राजकीयकृत आदर्श गांगुली मध्य विद्यालय के भवन की स्थिति काफी जर्जर रहने के कारण कई कमरों में पठन-पाठन का कार्य बंद है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के जर्जर भवन को तोड़कर नया भवन बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस डिपो बनाना

'क'-*2649. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0जा0))--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखंड इटाढ़ी में बस डिपो नहीं होने से बाजार में जाम लगा रहता है, जिससे आने-जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंड इटाढ़ी में जमीन का अधिग्रहण कर बस डिपो बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2650. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम निर्माण का प्रावधान है किन्तु मुंगेर जिला के सदर प्रखंड मुंगेर एवं बरियारपुर प्रखंड में अभीतक स्टेडियम निर्माण का कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरा निर्माण कराना

*2651. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड चोखड़ा में मदरसा नुरूल होदा पोखरैरा सबसे पुराना मदरसा है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी में 500 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ बी0 ए0 तक की पढ़ाई होती है परन्तु इस मदरसा में कमरा (भवन) का अभाव है जिससे बच्चों की संख्या के अनुसार इस मदरसा में चार कमरा की आवश्यकता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा में कमरा निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा में कार्यरत कर्मियों के मात्र वेतनानुदान भुगतान हेतु सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

मदरसा के आधारभूत संरचना की जिम्मेवारी संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति की होती है ।

प्रोत्साहन राशि का भुगतान

*2652. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला में सत्र 2017-18 से अबतक वर्गानुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों के बी0पी0एल0 छात्रों के लिये देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-परिवहन विभाग से नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

संकाय की स्वीकृति देना

*2653. श्री विजय कुमार (क्षेत्र संख्या-169 शेखपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के आर0 डी0 कॉलेज, शेखपुरा एवं एस0 के0 आर0 कॉलेज, बरबीघा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ की गई है, संकाय की स्वीकृति मुंगेर विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं दी गई है, यदि हाँ, तो उपर्युक्त वर्जित महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय की स्वीकृति देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन की राशि बढ़ाना

*2654. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 के धारा 79 के तहत दिव्यांग आयोग का गठन करने तथा राज्य आयुक्त की नियुक्ति एवं धारा 24 के तहत अन्य राज्यों की भाँति अंके 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार विकलांग/दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को मात्र अंके-500 रुपये दिये जा रहे हैं जिससे उनकी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति हीं हो पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की भाँति दिव्यांगजनों को पेंशन के रूप में अंके-3000 रुपये दिये जाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79 के तहत राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। उक्त धारा के तहत दिव्यांग आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में दिव्यांगजनों के हितार्थ राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय अलग से गठित है। वर्तमान में श्री रमेश कुमार झा भा0प्र0से0, राज्य आयुक्त नि:शक्तता के पद पर कार्यरत हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-24 के तहत दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा के निमित राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर रह कर कार्य करना है। उक्त धारा के तहत पेंशन देने का प्रावधान है। अन्य राज्यों की भाँति 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में कुल 92.73 लाख पेंशनधारियों को मासिक पेंशन भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 9,14,104 दिव्यांग पेंशनधारी भी शामिल है। राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत 8,09,917 दिव्यांग पेंशनधारी को रु0 400/- प्रतिमाह पेंशन राज्य सरकार के संसाधन से दिया जा रहा है, जबकि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत 1,04,187 दिव्यांग पेंशनधारियों को दी जाने वाली रु0 400 प्रतिमाह में से रु0 100 प्रतिमाह मासिक अंशदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

राज्य में पेंशन भुगतान हेतु वार्षिक लगभग 4632 करोड़ (चार हजार छ: सौ बत्तीस करोड़) रुपये का व्यय किया जाता है, जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1284 करोड़ (एक हजार दो सौ चौरासी करोड़ रुपये ही पेंशन भुगतान के लिए प्राप्त होता है। शेष लगभग 3348 करोड़ (तीन हजार तीन सौ अड़तालीस करोड़) रुपये प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में दर वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नियम को शिथिल करना

*2655. श्री प्रहलाद यादव (क्षेत्र संख्या-167 सूर्यगढ़ा)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परिवहन विभाग, बिहार द्वारा ट्रक एवं अन्य मालवाहक वाहन पर चलान से अधिक लोड होने पर 25 गुणा दंड का प्रावधान है, जिससे हजारों वाहन मालिक द्वारा अपने वाहन को बंदकर दिया गया है जिससे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस प्रकार का नियम की वैधता की स्वीकृति बिहार विधान सभा से नहीं ली गई है जिससे आम जनता के हित में नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे नियम को शिथिल करते हुए बिहार विधान सभा से जनहित में कानून बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आवंटन उपलब्ध कराना

*2656. श्री मनोज कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्डन्तर्गत यू0एस0पी0 महाविद्यालय, सिसवा में निर्माणाधीन स्टेडियम के शेष बचे कार्य को पूर्ण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-1, मोतिहारी द्वारा प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन करके विकास शाखा मोतिहारी पूर्वी चम्पारण में एक वर्ष पूर्व ही समर्पित किया जा चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद में रूचि रखने वाले प्रतिभाओं को विशेष सुविधा मिलने लगेगी ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित अपूर्ण स्टेडियम का कार्य पूर्ण कराने हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निबंधन कार्यालय खोलना

*2657. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल अन्तर्गत घनश्यामपुर प्रखण्ड के अनुमंडल स्तरीय सभी कार्य बिरौल में होता है परंतु जमीन निबंधन बेनीपुर अनुमंडल अन्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा में होता है, यदि हाँ, तो सरकार घनश्यामपुर प्रखण्ड की जमीन का निबंधन अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल में करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति निम्न है:-

1. घनश्यामपुर प्रखंड बिरौल अनुमंडल के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत है।

2. घनश्यामपुर प्रखंड की भूमि का निबंधन अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा में होता है।

3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपस्थापित दस्तावेज एवं प्राप्त राजस्व के आधार पर बिरौल एवं बहेड़ा कार्यालय के राजस्व प्राप्ति में समानता एवं बहेड़ा कार्यालय के आत्मभारित बने रहने के उद्देश्य एवं विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 के निर्धारित मापदण्ड के अनुपालन हेतु जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 631, दिनांक 1 मार्च, 2016 द्वारा बेनीपुर एवं अलीनगर अंचल के साथ घनश्यामपुर अंचल को अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में रखने की अनुशंसा की गयी थी ।

4. विभागीय अधिसूचना संख्या 3269, दिनांक 24 सितम्बर, 2018 द्वारा नये अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल के क्षेत्रान्तर्गत बिरौल, कुशेश्वरस्थान (पूरब), कुशेश्वरस्थान (पश्चिम), किरतपुर, गौड़ाबौराम अंचल तक सीमित किया गया है एवं अधिसूचना संख्या 1851, दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में बहेड़ी, मनीगाछी, तारडीह बेनीपुर एवं घनश्यामपुर अंचल तक सीमित किया गया है।

5. अंचल कार्यालय, घनश्यामपुर, अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल से लगभग 17 कि0मी0, अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा से लगभग 26.6 कि0मी0 एवं जिला निबंधन कार्यालय, दरभंगा से लगभग 54 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है ।

6. अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा से संबद्ध अंचल, घनश्यामपुर में औसतन प्रति वित्तीय वर्ष 1215 दस्तावेज निबंधन होता है जिससे 2.67 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होती है ।

विभागीय पत्रांक 1102, दिनांक 9 मई, 2013 द्वारा नये निबंधन कार्यालय खोले जाने हेतु निम्न् मापदण्ड निर्धारित किये गयें हैं:--

(क) राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक निबंधन कार्यालय होना चाहिए ।

(ख) जिन जिला मुख्यालय में 25,000 (पचीस हजार) से अधिक दस्तावेज निबंधित होते हैं, वहाँ 02 निबंधन कार्यालय खोले जायेंगें ।

(ग) सभी अनुमण्डल मुख्यालय में अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे, यदि वहाँ न्यूनतम 8000 (आठ हजार) दस्तावेज का निबंधन संभावित हो, लेकिन यदि अनुमण्डल के क्षेत्राधिकार में निबंधन कार्यालय है अथवा मुख्यालय से 15 कि0 मी0 दूरी में किसी प्रखण्ड मुख्यालय में पूर्व से अवर निबंधन कार्यालय खुला है अथवा अनुमण्डल कार्यालय के 15 कि0 मी0 की दूरी के कम दूरी पर किसी अन्य अनुमण्डल मुख्यालय में अवर निबंधन कार्यालय है तो ऐसे स्थान पर नया निबंधन कार्यालय नहीं खोला जाएगा ।

(घ) इसके अतिरिक्त प्रखण्ड मुख्यालय में नया निबंधन कार्यालय खोला जाना है तो प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के 15 कि0 मी0 की दूरी पर दूसरा निबंधन कार्यालय नहीं होनी चाहिए ।

(ङ.) प्रस्तावित निबंधन कार्यालय के क्षेत्राधिकार में न्यूनतम 8000 दस्तावेज का निबंधन गत तीन वर्ष से औसत दस्तावेज पर संभावित हो ।

(च) प्रस्तावित कार्यालय का न्यूनतम वार्षिक राजस्व 4 करोड़ रुपये संभावित हो ।

इस प्रकार अंचल घनश्यामपुर को अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा से हटाकर अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल में संबद्ध करने पर अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा में प्रति वित्तीय वर्ष निबंधित होने वाले दस्तावेजों की संख्या 10154 से घटकर 8939 एवं राजस्व 30.84 करोड़ रुपये से 28.17 करोड़ रुपया रह जायेगा तथा अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल में प्रतिवर्ष निबंधित होने वाले दस्तावेजों की संख्या 7059 से बढ़कर 8274 एवं राजस्व 18.54 करोड़ रुपये से बढ़कर 21.21 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

वस्तुस्थिति यह है कि नये अवर निबंधन कार्यालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पूर्व में स्थापित निबंधन कार्यालय का कार्यभार कम किया जाना है तथा आमजनता को कम समय में दस्तावेजों का निबंधन सम्पन्न किया जाना है।

अवर निबंधन कार्यालय, बिरौल एवं अवर निबंधन कार्यालय, बहेड़ा के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

पेंशन का भुगतान

*2658. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण, विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि श्री जय प्रकाश सिंह, पिता श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, निवासी मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना, बिहार राज्य नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी हैं। जिनका लाभार्थी सं0 000007367774 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त लाभार्थी को पिछले दो वर्षों से सामाजिक पेंशन सुरक्षा नि:शक्तता पेंशन नहीं मिल रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री जय प्रकाश सिंह, लाभार्थी संख्या 000007367774 को बकाये पेंशन का भुगतान करते हुए पेंशन चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2659. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखंड के पताही पूर्वी पंचायत के +2 सिंहेश्वर सेमिनरी हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पताही प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की माँग जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से विभागीय पत्रांक 367, दिनांक 15 मार्च, 2023 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(3) उत्तर खण्ड (2) में सन्निहित है।

भवन निर्माण कराना

*2660. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड के वार्ड नं० 4 परबत्ता नगरपंचायत में हाई स्कूल+2 भवन पूरी तरह जर्जर है, जिसमें छात्र और छात्राओं कि संख्या वर्तमान में 1800 से अधिक है, मात्र 4 कमरों में ही पढ़ाई होने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त स्कूल में भवन निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2661. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर/मोहम्मदपुर से पटना का राजकीय बस परिचालन नहीं है, जिससे आमजनता को पटना आने या जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहम्मदपुर/बैकुण्ठपुर के भौगोलिक दृष्टिकोण से राजकीय बस की सेवा लेने हेतु 60 कि०मी० गोपालगंज, 65 कि०मी० सीवान एवं 65 कि०मी० मोतिहारी की दूरी तय करनी पड़ती है, साथ ही सिंघवलिया रेलवे स्टेशन एवं चीनी मिल होने के कारण यात्रियों की संख्या काफी अधिक हो जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैकुण्ठपुर/मोहम्मदपुर से पटना का राजकीय बस परिचालन की विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रेंज ऑफिसर का प्रमोशन

*2662. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 4 जनवरी, 2023 को प्रशासित शीर्षक "5 वर्षों से सहायक वन संरक्षक की नियुक्ति नहीं, वन संरक्षण की योजनाएँ बाधित" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वन विभाग में रेंज ऑफिसर का 35 वर्षों में भी प्रमोशन नहीं हुआ, जबकि सात वर्षों में ही फॉरेस्ट गार्ड को रेंजर बना दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 5 वर्षों से सहायक वन संरक्षण का पद खाली रहने के कारण वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम की योजनाएँ बाधित हो रहे है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहायक वन संरक्षण के रिक्त पदों को भरने एवं रेंज ऑफिसर का प्रमोशन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वनों के क्षेत्र पदाधिकारी से सहायक वन संरक्षक के पद पर 2017 में प्रोन्नति दी गयी है। किसी भी फॉरेस्ट गार्ड को 7 वर्षों में रेंज ऑफिसर नहीं बनाया गया है। रेंज ऑफिसर की कमी के फलस्वरूप कार्यों की महत्ता को देखते हुये फॉरेस्टर को रेंज ऑफिसर का प्रभार अस्थायी रूप से दिया गया है।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार वन सेवा के सहायक वन संरक्षक कोटि में कुल 42 पद स्वीकृत है जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात 21 पद सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत अर्थात 21 पद प्रोन्नति हेतु कर्णांकित है। बिहार लोक सेवा की अनुशंसा पर वर्ष 2018 में 08 सहायक वन संरक्षक एवं वर्ष 2021 में 08 सहायक वन संरक्षक अर्थात कुल 16 सहायक वन संरक्षक नियुक्ति विगत वर्षों में हुई है। रिक्त 5 पदों पर सीधी भर्ती हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को भेजी जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना आदेश संख्या 5066, दिनांक 11 अप्रील, 2019 के आलोक में प्रोन्नति वर्तमान में अवरुद्ध है। वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम की योजनायें वनरक्षी, वनपाल, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी व वरीय पदाधिकारी के सार्थक प्रयास से सफलता पूर्वक संचालन किये जा रहे है।

(3) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक हैं । वर्तमान में सीधी भर्त्ती से सहायक वन संरक्षक के 05 पद रिक्त हैं, जिसे भरने हेतु अधियाचना भेजी गयी है तथा रेंज ऑफिसर का प्रमोशन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश पर वर्तमान में अवरुद्ध है।

जाँच एवं कार्रवाई करना

*2663. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राजकीयकृत केशव प्लस टू० उच्च विद्यालय, एन०एच० 2, सोन नगर, बारूण, औरंगाबाद को उसके भवन के अधिग्रहण के लिये एन०एच०ए०आई० द्वारा 2015-16 में 5 करोड़ रुपये दिये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूल भवन का निर्माण बिना निविदा और बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन के नहीं कराया जा सकता ;

(3) क्या यह बात सही है कि मुआवजे में प्राप्त 5 करोड़ की राशि से तत्कालीन प्रधानाध्यापक द्वारा बिना टेंडर और बिना प्रबंध समिति के अनुमोदन के ही भवन का निर्माण कार्य 2017 में प्रारंभ किया गया परंतु आजतक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा भवन निर्माण कार्य पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

परिवर्तित करना

*2664. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के डगरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी मेमोरियल हाई स्कूल 1984 से डगरूआ में स्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक पंचायत में मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का सरकार द्वारा 05 वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया था, पर उक्त स्कूल को आजतक डिग्री कॉलेज में परिवर्तित नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज के अभाव में उक्त क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं पढ़ाई बीच में ही बाधित हो जाती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार डगरूआ प्रखण्ड अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी मेमोरियल हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय का निर्माण

*2665. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा क्षेत्र में कुल 30 पंचायत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोले जाने को सरकार संकल्पित है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायतों में पुस्तकालयों को निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे स्थानीय लोग पुस्तकालय के अध्ययन से वंचित रहे रहे हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी पंचायतों में अध्ययन हेतु पुस्तकालयों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास बनाना

'ख'- *2666. श्री रामबली सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-217 घोसी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि घोसी विधान सभा क्षेत्र में 37 उच्च विद्यालय-सह-इंटर कॉलेज है लेकिन अनु० जाति जनजाति कल्याण छात्रावास एवं पिछड़ी जाति कल्याण छात्रावास एक भी नहीं है, जबकि क्षेत्र भर में अनु० जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति की बहुसंख्या होने के कारण विद्यालयों में भी अधिकतर छात्र इसी तबके के रहते है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन तबकों के बच्चों के लिये छात्रावास सिर्फ जहानाबाद शहर में है, जहां सीमित संख्या में ही छात्रों को रहने की व्यवस्था है और घोसी विधान सभा क्षेत्र के गरीबों से जहानाबाद की न्यूनतम दूरी 20 कि०मी० तथा अधिकतम दूरी 40 कि०मी० तक है जिस कारण जहानाबाद रहकर छात्र स्कूल नहीं जा सकते ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड मुख्यालय, मोदनगंज में पिछड़ी जाति कल्याण एवं घोसी प्रखंड मुख्यालय में अनु०जाति कल्याण छात्रावास बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति

*2667. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 03 अप्रील, 2020 के शीर्षक ''अब राज्य में बचे महज 17 अल्पसंख्यक स्कूल, आर०टी०आई० से हुआ खुलासा'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्यभर में 108 अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय थे जहां अब सिर्फ 17 ही बचे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि 91 अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय के बंद होने से अल्पसंख्यक छात्र-छात्रों का पठन-पाठन बाधित हुआ है ;

(3) क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से विद्यालय धीरे-धीरे बन्द हो गये ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट-- 'ख'- समाज कल्याण विभाग से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनु०जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

भवन निर्माण कराना

*2668. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के तारडीह प्रखंडान्तर्गत अपग्रेड +2 उच्च विद्यालय, लगमा में भवन निर्माण से संबंधित कार्यादेश मिलने के 21 माह बीतने के बाद भी आजतक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि विद्यालय के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, भवन के अभाव में बच्चों का पठन-पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण का कार्य अक्षित इंजीनियरिंग एंड कन्सट्रक्शन को आवंटित किया गया था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित विद्यालय में कबतक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2669. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला स्थित +2 राजकीय श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय, जितवारपुर, धरमपुर उच्च विद्यालय, धरमपुर एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाघी में पर्याप्त भवन नहीं होने से छात्र/छात्राओं को अध्ययन करने में काफी कठिनाई होती है जबकि विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या काफी अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2670. श्रीमती बीमा भारती (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बरहरा कोठी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय, गुलाबटोल एवं ओड़लाहा विद्यालय में 4 एकड़ से ऊपर भूमि उपलब्ध है, जिसमें भवन नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालयों के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पशुवधशाला को स्थानांतरित कराना

*2671. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र के हलहलिया पंचायत के सुकसेना गाँव के मध्य में अवस्थित तीन पशुवधशाला वर्ष 2014 से कार्यरत है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशुवधशाला में व्याप्त दुर्गंध एवं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण उससे उत्पन्न विभिन्न प्रकार के बीमारियों यथा पानी में मक्खी लगने से डायरिया, त्वचा रोग, कैंसर रोग, गर्भवती महिला को सात महीने तक उल्टी आना, ऐसे तमाम गंभीर रोग फैल रहे हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पशुवधशाला से आस-पास के दस किलो मीटर का क्षेत्रफल प्रदूषित एवं संक्रमित होते जा रहे हैं जिसके कारण आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जांच टीम गठित कर पशुवधशाला को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । अररिया जिला के अन्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा क्षेत्र के हलहलिया पंचायत में तीन मीट प्रोसेसिंग उद्योग यथा मेसर्स अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा०लि०, मेसर्स मरहब्बा फ्रोजेन फूड्स एवं मेसर्स जकारिया एग्रो प्रा० लि० स्थापित एवं कार्यरत है ।

उपरोक्त सभी इकाइयाँ पर्षद् के दूरी संबंधी मानकों के अनुरूप आबादी से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । उल्लेखित सभी पशुवधशाला में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये समुचित प्रबंधन करते हुये इकाई से उत्पन्न बहिस्राव को उपचारित कर अपने क्षेत्र में किये गये वृक्षारोपण में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है । इन इकाईयों से किसी भी प्रकार का बहिस्राव इकाई क्षेत्र के बाहर निस्सारित नहीं किया जाता है । इकाई द्वारा दुर्गन्ध की रोक-थाम के लिये शेड के अन्दर बॉयोफिल्टर लगाया गया है एवं इसके मीडिया को छः माह पर बदला जाता है । इकाई द्वारा अन्य निदेशों का भी अनुपालन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सामान्यत: दुर्गन्ध की समस्या नहीं होती है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, श्री विद्या सागर केशरी द्वारा दायर एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय में जिसका बार कोड Y2023550211 के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये पर्षद् के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ एवं वैज्ञानिक, केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा मेसर्स मरहब्बा फ्रोजेन फूड्स, मेसर्स अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा० लि० एवं मेसर्स जकारिया एग्रो प्रा० लि० का निरीक्षण क्रमश: दिनांक 16 फरवरी, 2023, 13 मार्च, 2023 एवं 14 मार्च, 2023 को किया गया ।

निरीक्षण के दौरान इकाइयों के बहिस्राव उपचार संयंत्र संचालित अवस्था में पाये गये एवं किसी प्रकार की बहिस्राव संबंधित इकाइयों के परिसर से बाहर निस्सारित होते हुये नहीं पाये गये । इकाइयों के रेन्डरिंग प्लांट से जनित स्टीम को बायो-फिल्टर संयंत्र से प्रवाहित कर दुर्गंध को दुर किया जाता पाया गया । इकाई परिसर के आस-पास दुर्गंध नहीं पाया गया ।

(4) पर्षद् द्वारा संयुक्त जांच दल गठित कर इन इकाइयों का निरीक्षण कराया गया है । निरीक्षण के दौरान इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सही ढंग से कार्यरत पायी गयी है ।

निर्माण पूरा करवाना

*2672. श्री अजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-201 डुमराँव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के नावानगर प्रखंड के बेलांव गाँव में कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय का निर्माण कार्य 2012 में ही शुरू हुआ था जो अभीतक पूर्ण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले निर्माण एजेंसी द्वारा सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहमति-पत्र भी लिया गया था ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना लागू करवाना

*2673. श्री गुंजेश्वर साह (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा लड़कियों के लिये वर्ग 1 से स्नातकोत्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क हो का प्रावधान किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नि:शुल्क योजना के अक्षरस: लागू करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी करवाना

*2674. श्री बीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड के ग्राम-कुर्किहार में पुरातत्व विभाग का जमीन का घेराबंदी नहीं होने के कारण उसका अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पुरातात्विक स्थल का घेराबंदी कबतक कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्चस्तरीय जाँच

*2675. श्रीमती मंजु अग्रवाल (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी विधान सभा के मोरहर एवं बूढ़ी नदियों से बालू उठाव का कार्य किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नदियों से कहीं-कहीं ज्यादा अनुपातिक गहराई कर बालू के उठाव से नदियों में पानी आने के बाद मानव के डूबने की घटनाएं घटित होती है, जबकि गहराई को अन्य वैकल्पिक माध्यम से भरा भी नहीं जाता है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसे रोकने एवं उच्चस्तरीय जाँच कर काईवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय खोलना

*2676. श्री मोहम्मद नेहाउलद्दीन (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड मदनपुर के पंचायत घोड़ा डिहरी के ग्राम-बंगला पर में उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चों एवं बच्चियों को पढ़ने हेतु दूसरी जगह देव मनिका जाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 5 किलो मीटर है, जबकि कठवर टोला बंगला पर उच्च विद्यालय के नाम से लगभग एक एकड़ जमीन रजिस्ट्री की हुई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर उच्च विद्यालय खोलने एवं यूनिट देने के साथ-साथ भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*2677. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि पुपरी अनुमंडल के चोरौत प्रखंड में श्री लखन नारायण स्मारक उच्च विद्यालय, चोरौत के पास लगभग 35 एकड़ जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित अनुमंडल के लखन नारायण स्मारक उच्च विद्यालय, चोरौत के पास उपलब्ध जमीन पर डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान प्रदान करना

*2678. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड में वित्त रहित ब्यूलादोजा इंटर कॉलेज में 40 सालों से छात्र/छात्राएं शिक्षा प्राप्त करते आ रहे हैं, इस संबद्ध कॉलेज में अभीतक सरकारी अनुदान प्रदान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को बकाया सहित अनुदान प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड का निर्माण

*2679. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बड़हरिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड मुख्यायल में बस स्टैंड नहीं रहने से वाहनों के साथ-साथ यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़हरिया से अन्तर्गत एवं अन्तप्रमंडलीय बस एवं ऑटो, रिक्शा, जीप इत्यादि सेवा प्रतिदिन है, परंतु स्टैंड का स्थान निश्चित नहीं होने से यात्रियों को भटकना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार यात्रियों की सुविधा हेतु बड़हरिया प्रखंड मुख्यालय में बस स्टैंड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओपेन विद्यालय की शाखा खोलना

*2680. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मधुबनी एवं भितहाँ प्रखंड में इंदिरा गाँधी नेशनल ओपेन विद्यालय नहीं होने के कारण उक्त प्रखंड के छात्र-छात्राओं को इंटर, बी0ए0, बी0एस0सी0 सहित अन्य डिग्री कोर्स करने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में इंदिरा गाँधी नेशनल ओपेन विद्यालय की शाखा कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

*2681. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत स्थित हरिहर महतो उच्च विद्यालय, अमारी, छोड़ाही में 12 कमरों का भवन है जो जर्जर अवस्था में है एवं विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के भवन की मरम्मती एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण

*2682. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत अमनौर प्रखण्ड के हरी जी उच्च विद्यालय अपहर, उच्च विद्यालय-सह-इण्टर कॉलेज अमनौर, एवं मकेर प्रखण्ड के राजेन्द्र विद्या मंदिर का अपना गौरवशाली अतीत रहा है तो जीर्ण-शीर्ण होकर खण्डहर में परिवर्तित हो रहा है जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में कमरों की संख्या काफी कम है जिससे छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में कमरों का निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा और अधिकार देने

*2683. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के समुचित उत्थान जैसे शिक्षा, कौशल विकास, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास आदि के लिए विशेष उपबंध किए गए, जिसका समुचित लाभ अबतक बिहार के दिव्यांगजनों को नहीं मिल सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम के आलोक में द्रिव्यांगजनों को नियमानुसार सुविधाएं और अधिकार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निलंबन मुक्त कराना

*2684. श्री भारत भूषण मंडल (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के प्लस 2 उच्च विद्यालय, खुटौना में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक के मिलीभगत से बेंच-डेस्क, उपस्कर एवं प्रयोगशाला संबंधी सामग्री और अन्य शैक्षणिक सामग्री के खरीद पर अनियमितता की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधानाध्यापक द्वारा एकल हस्ताक्षर से वर्ष 2015 से 2017 तक छात्र कोष से लगभग 60 लाख की गलत ढंग से निकासी की गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री नसीम अहमद शिक्षक द्वारा उक्त राशि की अवैध रूप से निकासी का उद्भेदन किये जाने के पश्चात् सक्षम पदाधिकारी द्वारा उक्त शिक्षक को बिना कारण निलंबित कर दिया गया है ;

(4) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पत्रांक 374, दिनांक 29 नवम्बर, 2022 द्वारा उक्त शिक्षक को सुयोग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ बतलाया गया है ;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए उक्त शिक्षक को निलंबन मुक्त एवं दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

किला का सौन्दर्यीकरण

*2685. श्री विश्व नाथ राम (क्षेत्र संख्या-202 राजपुर (अ0 जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के प्रखण्ड राजपुर में प्राचीन किला अवस्थित है, जहाँ हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष घूमने के लिए आते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त किला का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटन स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2686. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखण्ड के प्राथमिक विद्यालय, नई भूई एवं प्राथमिक विद्यालय, विशुनपुर में विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिससे भवन के अभाव में नजदीकी क्रमशः मध्य विद्यालय, धरवासडीह एवं मध्य विद्यालय, भाराडीह में टैग कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में वर्ग 01 से 05 क्लास के बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, जिन्हें अधिक दूरी तय करके दूसरे गाँव के टैग विद्यालयों में जाना होता है, जिससे कई तरह की परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन भवन विहिन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2687. श्री सउद आलम (क्षेत्र संख्या-53 ठाकुरगंज)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के दिघल बैंक एवं ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत नेपाल सीमा से सटे पंचायतों में नेपाल से आये हाथियों का झुण्ड के द्वारा अबतक 02 (दो) व्यक्तियों को कुचलकर जान से मार दिया गया और अनेकों आवासीय घरों को तहस-नहस कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नेपाल से आये हाथियों के झुण्ड के द्वारा कई वर्षों से मक्का सहित अन्य फसलों को काफी क्षति पहुँचायी जाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हाथियों के झुण्ड के उक्त क्षेत्र में आवागमन रोकथाम करने के संबंध में कोई ठोस कदम उठाने तथा जान-माल एवं आवासीय मकान जो क्षतिग्रस्त हो गये हैं, इसका मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पदाधिकारी को विरमित करना

*2688. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के अधिसूचना सं0 2/टी0 9-03/2022-858, दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा से जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को संयुक्त निदेशक (मा0 शि0) के साथ अतिरिक्त प्रभारी पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्राधिकृत किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि कुछ अंतराल में शिक्षा विभाग के ज्ञापांक सं0 2/एम 10-04/2018, 1553, दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के द्वारा पदाधिकारी, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना को प्रभारी पदाधिकारी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्राधिकृत किया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि नोडल पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के ज्ञापांक 47, दिनांक 30 जनवरी, 2023 के आलोक में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी पदाधिकारी को बदलने की अनुशंसा की है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्तमान प्रभारी पदाधिकारी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को विरमित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रिंग बस सर्विस चलाना

*2689. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सहीं है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत कुढ़नी बलीया तुर्की, सकड़ी सरैया लदौरा से मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय काफी संख्या में विद्यार्थी एवं मजदूर तथा कचहरी में आते-जाते हैं, परंतु सरकारी बस सेवा नहीं रहने से काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग पर जनहित में रिंग बस सर्विस चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*2690. श्री रित लाल राय (क्षेत्र संख्या-186 दानापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के नगर निगम क्षेत्र के भँवर पोखर मुहल्ला सहित पूरे वार्ड नं0 39 में आजादी के बाद एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में कभी प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण निर्धन बच्चें शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जबकि उक्त वार्ड में प्राथमिक विद्यालय हेतु सरकारी भू-खंड उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित वार्ड में प्राथमिक विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2691. डॉ० निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाँका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड के नगर पंचायत कटोरिया में कन्या मध्य विद्यालय, कटोरिया एवं कटोरिया प्रखंड अन्तर्गत तरगच्छा पंचायत में प्रोन्नत मध्य विद्यालय, लिलावरण स्थित है, में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्व तथा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सी०डी०पी०ओ० का पदस्थापन

*2692. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी में स्थायी सी०डी०पी०ओ० की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने के कारण बाल विकास परियोजना कार्य पूर्णतः प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बनमनखी में स्थायी सी०डी०पी०ओ० का पदस्थापन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक 1090, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णियाँ को बाल विकास परियोजना कार्यालय, बनमनखी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिनके द्वारा बनमनखी परियोजना से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है।

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 4341, दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 के द्वारा 55 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गयी है, जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 11693, दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 द्वारा नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 03/2021 द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत रिक्त प्रखंडों में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियमित पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना

*2693. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने से छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है साथ ही 35 कि०मी० की दूरी पर स्थित भागलपुर मुख्यालय में नामांकन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण

*2694. श्री मुहम्मद इजहार असफी (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड कोचाधामन के पुरन्दाह पंचायत में सामुदायिक भवन-सह-शेड का निर्माण नहीं कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुमंडल की सभी पंचायतों में एक-एक महादलित बस्ती का चिन्हित कर वहां सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड का निर्माण कराने को सरकार संकल्पित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायत में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन का भुगतान

*2695. श्री हरीभूषण ठाकुर "बचोल" (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अन्तर्गत जे०एम०डी०पी०एल० महिला महाविद्यालय, मधुबनी में 14 वर्षों से वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षा कर्मियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित माननीय ए०बी० सिन्हा आयोग के दिनांक 11 जुलाई, 2014 के निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी० नं० 16835/2014 वाद दायर किया गया, जिसमें दिनांक 18 सितम्बर, 2001 को वेतन भुगतान एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शिक्षा कर्मियों का वेतन भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम बनाना

*2696. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के मीरपुर पंचायत के महादेव साह हाई स्कूल के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान में स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

(3) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।

पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखण्ड के महादेव साह उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिरैया में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1/57558, दिनांक 7 मार्च, 2023 द्वारा दी जा चुकी है।

नियुक्ति करना

*2697. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन चतुर्थवर्गीय रिक्त पदों पर किये जाने का निर्णय 4 वर्ष पूर्व लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक संघ की निबंधन सं० 375/14 की जाँच निबंधन विभाग से सही पाये जाने के उपरान्त भी शेष बचे हुये अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्मारक-सह-पार्क का निर्माण

*2698. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखंड के कौपा गांव निवासी जयराम यादव 1942 के आंदोलन में शहीद हो गये थे किन्तु आजादी के 75 साल के उपरान्त भी अभीतक शहीद जयराम यादव का स्मारक पैतृक गांव में नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार वीरगति को प्राप्त जयराम यादव के स्मारक-सह-पार्क का निर्माण उनके पैतृक ग्राम में कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2699. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने हेतु राज्य के 38 जिलों के अधीन प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2008-09 से वर्ष 2022-23 तक 353 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2022-23 तक 353 स्टेडियम में 168 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, शेष 84 स्टेडियमों का कार्य निर्माणाधीन है तथा 101 स्टेडियमों का निर्माण कार्य आरंभ भी नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य अबतक पूर्ण नहीं किये जाने का औचित्य क्या है ?

लाभ दिलाना

*2700. श्री संजीव चौरसिया (क्षेत्र संख्या-181 दीघा)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 3 दिसम्बर, 2021 में पटना के गांधी मैदान में दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें पूरे बिहार से करीब 2.5 लाख दिव्यांगजन शामिल हुये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सम्मेलन में दिव्यांगजनों के द्वारा दिये गये 46 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी सरकार के द्वारा दिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त 46 सुत्री मांगों में मुख्य रूप से दिव्यांगजनों का पेंशन में बढ़ोतरी, अत्योदय योजना के तहत दिव्यांगों को 35 किलो अनाज, मनरेगा में दिव्यांगों को विशेष श्रेणी का कार्ड बनवाकर उन्हें रोजगार देना, दिवंग आयोग का गठन एवं 2022-2023 में 40 प्रतिशत से ऊपर सभी लोकोमोटीव दिव्यांगजनों को बैट्री चालित मोटराइज्ड तिपहिया प्रदान करना आदि था ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दिव्यांगजनों को ऊपर वर्णित मुख्य मांगों को लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*2701. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हरिहर चैपाल एवं श्री महादेव चैपाल, पिता-श्री लोचन चैपाल, ग्राम+पो०-नरूआर, थाना-भैरव स्थान, जिला-मधुबनी की सड़क दुर्घटना में दिनांक 18 जुलाई, 2022 को मौत हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को मुआवजा देने का प्रावधान परिवहन विभाग को अधिसूचित है जिसके तहत अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा पत्रांक 612, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 एवं पत्रांक 613, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी को प्रपत्र प्रेषित कर दिया है, परन्तु मामला लंबित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रित को मुआवजा राशि देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मातृत्व अवकाश में वेतन देना

*2702. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य कर्मचारियों (विशेषकर शिक्षा विभाग) में गर्भवती महिलाओं के लिये वेतन सहित मातृत्व अवकाश का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मातृत्व अवकाश के दौरान गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश में वेतन सहित अन्य प्रावधान नहीं मिलता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गर्भवती मातृत्व अवकाश में वेतन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण

*2703. श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव (क्षेत्र संख्या-90 मीनापुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर प्रखंड के शिवयदूनी उच्च विद्यालय में कमरा नहीं रहने के कारण बच्चे-बच्चियों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में कमरे का निर्माण कराना चाहती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शराबबंदी लागू कराना

*2704. डॉ० सी०एन० गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 फरवरी, 2023 को प्रकाशित शीर्षक ''सारण में एंबुलेंस में मरीज की जगह हो रही शराब की ढुलाई'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला में एंबुलेंस में मरीज की जगह हो रही शराब की ढुलाई जबकि राज्य में अप्रैल, 2016 से शराब की बिक्री एवं खरीद शराबबंदी लागू है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सारण में विगत 2 वर्षों में 100 से अधिक जहरीली शराब से मृत्यु होने के बावजूद भी उत्पाद पुलिस एवं थाना की मिलीभगत से राज्य में खुलेआम शराब की बिक्री जारी है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार सारण जिला सहित अन्य जिलों को शत-प्रतिशत शराबबंदी कबतक लागू कराने का विचार रखती है, 'नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

*2705. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में शिक्षामित्रों की तरह शिक्षा सेवकों को संबंधित विद्यालयों में समायोजन कर नियोजित शिक्षक का दर्जा नहीं दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि शिक्षामित्रों, शिक्षा सेवकों तथा तालिमी मरकज के वेतन में भारी अन्तर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षामित्रों की तरह शिक्षा सेवक और तालिमी मरकज भी शिक्षण कार्य से जुड़े हैं ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षामित्रों की तरह शिक्षा सेवकों को भी समायोजन कर नियोजित शिक्षक का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सौन्दर्यीकरण करवाना

*2706. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मोतिहारी मुख्यालय के मुंशी सिंह महाविद्यालय एवं स्पोर्ट्स क्लब के खेल मैदान में लगातार खेल के प्रतियोगिता होता है, जो जीर्ण-शीर्ण है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त खेल मैदान को सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निलामी कराना

*2707. श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-9 सिकटा)--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण के बाल्मिकी टाइगर रिजर्व (वी0टी0आर0) वन क्षेत्र में हजारों कीमती सखुआ, करमा और अन्य लकड़ियों के सूखे हुये पेड़ सड़ रहे है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विगत कई वर्षों से सूखे हुये पेड़ों की नीलामी नहीं होने से अपने ही देश का संसाधन नष्ट हो रहा है और सरकार को नीलामी से प्राप्त राजस्व भी हासिल नहीं हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार (वी0टी0आर0) वन क्षेत्र की सूखी सड़ रही लकड़ियों की निलामी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस चलाना

*2708. श्री जितेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के अस्थावाँ विधान सभा अन्तर्गत सरमेरा प्रखंड में प्रणावां स्थित महतो बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ हर दो वर्ष राजकीय मेला का आयोजन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मेला एवं बाबा के दर्शन हेतु श्रद्धालु देश के कोने-कोने से वहाँ आते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि आवागमन की सीधी एवं सुगम व्यवस्था नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्रद्धालुओं के लिये सीधी बस सेवा जो पटना से प्रणावां होते हुये सरमेरा तक सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2709. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में प्रखंड शिक्षक नियोजन में नियोजन इकाई द्वारा गड़बड़ियाँ कर शिक्षकों की बहाली की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में जिलास्तरीय जाँच में गड़बड़ियाँ पाई गई थी और 9 शिक्षकों को सेवामुक्त कर दिया गया था लेकिन प्रखंड नियोजन इकाई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो गलत तरीके से नियोजन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ देना

*2710. श्री मोती लाल प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों के समस्याओं के संबंध में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 168सी, दिनांक 17 जून, 2015 के द्वारा लिखित आश्वासन मिला था परन्तु आजतक उक्त आश्वासन के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं हुई ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा स्थाई करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति को अबतक कस्तुरबा गाँधी बालिक विद्यालय के कर्मियों की सूची समर्पित नहीं की गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, अभियंता कर्मियों, परिषद् कर्मियों इत्यादि सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में हमेशा बढ़ोतरी की जाती है, परन्तु कस्तुरबा गाँधी बालिका कर्मियों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं किया जाता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अन्य विभाग के कर्मियों के समान वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के कर्मियों को भी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध करवाना

*2711. श्री प्रणव कुमार (क्षेत्र संख्या-165 मुंगेर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा लाल बालू के उठाव पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके से बाँका, मुंगेर एवं लखीसराय जिला के विभिन्न नदियों से खुलेआम बालू का उठाव हो रहा है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है तथा जनता को बालू मंहगे दाम पर उलब्ध हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार अवैध बालू उठाव पर अंकुश लगाने तथा राजस्व की क्षति को रोककर जनता को उचित दाम पर बालू उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2712. श्री राहुल तिवारी (क्षेत्र संख्या-198 शाहपुर)--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के बिहियाँ प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम-बगही में उर्दू मध्य विद्यालय का भवन काफी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण दूसरे विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य चलाया जा रहा है जिसमें छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 500 है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के नये भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*2713. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के उप-सचिव के द्वारा ज्ञापांक सं0सं0-पि0व0/छात्रावास-नि0प्र0सं0-45-14/2018-1832, दिनांक 16 अगस्त, 2019 को जिला पदाधिकारी, दरभंगा से दरभंगा जिला के जाले प्रखंड अन्तर्गत कमतौल महाविद्यालय, कमतौल तथा सिंहवाड़ा प्रखंड के +2 मिथिला उच्च विद्यालय अस्थुआ में छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास निर्माण कराने हेतु भूमि उपलब्धता का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय एवं विद्यालय में 70 प्रतिशत से अधिक पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएँ अध्ययन करते है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय एवं विद्यालय में छात्रावास का निर्माण अविलम्ब कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*2714. श्री महबूब आलम (क्षेत्र संख्या-65 बलरामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल के बारसोई मुख्यालय में एक महिला डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने के कारण बारसोई, कदवा, बलरामपुर, आजमनगर के लड़कियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बारसोई में महिला डिग्री महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैण्ड का निर्माण

*2715. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि करगहर विधान सभा अन्तर्गत प्रखंड करगहर और कोचस में सरकारी बस स्टैंड नहीं होने के कारण आमलोगों को काफी कठिनाई होती है, जबकि दोनों प्रखंड में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में सरकार बस स्टैंड निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2716. श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-41 निर्मली)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार का निर्णय है कि प्रत्येक प्रखण्ड में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़-भपटियाही प्रखण्ड में अभीतक स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरायगढ़-भपटियाही प्रखण्ड के बिहारी गुरमैता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगन में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरों का निर्माण कराना

*2717. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत कनौसी मध्य विद्यालय में मात्र चार कमरा ही निर्मित है एवं चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है जिसमें छात्रों की संख्या 500 से अधिक है, साथ ही उक्त विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कमरों की संख्या कमी के कारण छात्र खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं चहारदीवारी नहीं होने के कारण अवारा पशुओं एवं असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है जिसे पढ़ाई बाधित होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2718. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ0 जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत खैरा प्रखंड स्थित पंचायत खैरा ग्राम सुरोंधा के प्राथमिक विद्यालय सुरोंधा का विद्यालय भवन विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने से छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन के साथ ही शिक्षक कर्मियों को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का नया विद्यालय भवन का निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई एवं प्रतिनियुक्ति रद्द करना

*2719. श्री राकेश कुमार रौशन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के बिना सक्षम पदाधिकारी से आदेश लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया जा सकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त निर्देश के बावजूद भी नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बिना किसी वरीय पदाधिकारी से अनुमती लिए हुए रंजीत कुमार वर्मा, सहायक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय, रसलपुर, कौशलेन्द्र कुमार, सहायक शिक्षक, प्रा0वि0, चकदह एवं रजनीश कुमार, सहायक शिक्षक, प्रा0वि0 शिवशंकरपुर को प्रखण्ड संसाधन केन्द्र एकंगरसराय में प्रतिनियुक्ति कर दिया है, जिसके चलते इन विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित हो रहा है ;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई कराते हुए प्रतिनियुक्ति रद्द करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ई-ट्राई साईकिल देना

*2720. श्री मनोज मंजिल (क्षेत्र संख्या-195 अगिआंव (अ0 जा0))--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में स्वरोजगार में लगे दिव्यांगजनों को बैटरी से चलने वाली ई-ट्राई साईकिल देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड-अगिआंव के ग्राम-नोनउर निवासी राम बाबू पासवान, पिता-श्री बजरंगी पासवान और जय प्रकाश कुमार यादव, पिता-श्री बनन सिंह तथा नगर पंचायत गडहनी वार्ड संख्या-10 निवासी विशुन राम, पिता-श्री सुदामा राम दिव्यांग है और इनका स्वरोजगार है, लेकिन अभीतक इन्हें ई-ट्राई साईकिल नहीं मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दिव्यांगजनों सहित प्रदेश में स्वरोजगार में लगे दिव्यांगजनों को ई-ट्राई साईकिल देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

वर्कशेड को पूर्ण कराना

*2721. श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र संख्या-228 बाराचट्टी (अ0 जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनु0जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अंतर्गत महादलित विकास मिशन के तहत वर्ष 2010-11 में प्रखंड मोहनपुर अंतर्गत ग्राम कुरोपंती में लोहा कर्कट का वर्कशेड, प्रखंड बोधगया अंतर्गत पंचायत बारा के ग्राम सहदेवखाप महादलित टोला में पक्का वर्कशेड एवं प्रखंड बोधगया के नगर परिषद् का गांव धंधवा में पक्का वर्कशेड का निर्माण कराया गया था जो जर्जर हो गया है ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार, वर्कशेड की मरम्मती एवं अधूरे रह गए वर्कशेड को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्चस्तरीय जांच कराना

*2722. श्री विनय कुमार (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत परैया प्रखण्ड में एक वर्ष पूर्व में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में कुल 9 पंचायत है जिसमें 119 केन्द्र संचालित है एवं बच्चों की संख्या लगभग 8 हजार से उपर है, लेकिन पदस्थापित पदाधिकारी विगत एक वर्ष से किसी भी सैंटर (केन्द्रों) पर देख-रेख हेतु नहीं जाती है, सिर्फ कागज पर खाना पूर्ति दिखकार एवं दिव्यांग का हवाला देकर बड़े स्तर पर संचालित केन्द्रों से उगाही करवाती है ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा ग्रामीणों की शिकायत पर कई बार पदस्थापित पदाधिकारी से खामियों को दूर करने हेतु कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पदधिकारी के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन चालू करवाना

*2723. श्रीमती अरूणा देवी (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज विधान सभा अंतर्गत तीनों प्रखंडों में सैकड़ों लाभान्वितों का वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा एवं नि:शक्तता पेंशन विगत दो वर्षों से प्रशासनिक लापरवाही के कारण बंद हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक प्रखंडों में कैम्प लगाकर पेंशन चालू करवाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाना

*2724. श्री विनोद नारायण झा (क्षेत्र संख्या-32 बेनीपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार को भेजे जानेवाले प्रस्ताव पर विचार करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव विभागीय स्तर पर लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समिति की अनुशंसा के आधार पर बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किये जाने पर ही मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने हेतु मैथिली सभी योग्यता धारित करती है जो अन्य छ: भाषाओं को प्राप्त है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने हेतु अनुशंसा करना चाहती है, हाँ, तो कबतक ?

शिक्षकों का प्रोन्नति

*2725. श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-93 कुढ़नी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नियोजित शिक्षकों का प्रशिक्षण तिथि से 12 वर्ष पूर्ण होने पर स्नातक वेतनमान में प्रोन्नति का प्रावधान है कई जिला में प्रोन्नति का कार्य प्रांरभ है परन्तु मुजफ्फरपुर जिला में प्रोन्नति का कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार मुजफ्फरपुर जिला में स्नातक नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2726. श्री संतोष कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अन्तर्गत करगहर, कोचस और शिवसागर प्रखंड में आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के बीच में पोषक सामग्रियों के वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंडों के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की गलत हाजरी लगवाई जा रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जाँच कराकर उक्त प्रखंडों के सी०डी०पी०ओ० पर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

*2727. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि संविधान संशोधन के अनुरुप राज्य में 2019 से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमान्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि BSTET, 2019 में EWS कॉलम रखकर भरवाया गया था परंतु आरक्षण अलग नहीं दिया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविधान के प्रावधान के अनुरूप ई०डब्लू०एस० कैटेगरी को भी आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन

*2728. श्री ललन कुमार (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ०जा०))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के टोलों-मोहल्लों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण कराये जाने की योजना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस योजना के निर्माण के लिये विभाग द्वारा मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखण्ड के माधोपुर, पीरपैंती प्रखण्ड के धुबियाचक, साहोतुर्की अनूसूचित जाति एवं जन-जाति के टोले-मुहल्ले में सरकारी भूमि की कमी के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त टोलों के लिये जमीन अधिकृत कर योजना का कार्यान्वयन कराना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*2729. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड के ग्राम-एराजी शाहपुर शीतलपट्टी में आजादी के बाद भी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त स्थान से अन्य प्राथमिक विद्यालय की दूरी 2 किलो मीटर है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकारी जमीन की उपलब्धता एवं अंचलाधिकारी बथनाहा द्वारा जनवरी, 2021 में ही शिक्षा विभाग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्र खोलना

*2730. श्रीमती स्वर्णा सिंह (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बिरौल प्रखण्ड अन्तर्गत बिरौल पंचायत के वार्ड नं० 11 रजवा गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव में कुल गृह संख्या 197 एवं कुल जनसंख्या 1462 है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के कुपोषित बच्चे, गर्भवती महिलाएं एवं धात्री सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । लाभार्थियों को टीकाकरण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जन्म मृत्यु पंजीकरण एवं आधार पंजीकरण का लाभ दिया जा रहा है।

(4) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

भारत सरकार से अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर सरकार आँगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है।

स्टेडियम बनाना

*2731. श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-193 बड़हरा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड मुख्यालय में कृषि विभाग की जमीन वर्षों से अनुपयोगी पड़ी हुयी है, जिस पर बच्चे खेलते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार क्रीड़ा-संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये उक्त खाली पड़ी जमीन पर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कक्ष का निर्माण कराना

*2732. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगड़िया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा खगड़िया अवध बिहार संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर में 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष की आवश्यकता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अभीतक विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर अवध बिहार संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर में 5 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2733. श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिले के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत सनोखर पंचायत के भिरौंधा गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय, भिरौंधा में पर्याप्त संख्या में कमरा एवं परिसर की चहारदीवारी नहीं होने के कारण बच्चे/बच्चियों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपर्युक्त विद्यालय के भवन का निर्माण कराने एवं विद्यालय परिसर की चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2734. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अन्तर्गत नगर परिषद्, ताजपुर के वार्ड नं०-1 में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रजवा रहीमाबाद का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र/छात्राओं एवं शिक्षकों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योगदान कराना

*2735. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को शिक्षण कार्य से मुक्त कर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो विभागीय पत्रांक 76, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के विरुद्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड मुख्यालय में 21 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिस कारण विद्यालयों में पठन-पाठन बाधित है, इसके साथ ही पूरे प्रखंड में सैकड़ों शिक्षकों को भी प्रतिनियुक्त अन्यत्र विद्यालय में किया गया है, अन्य जिलों में भी यही स्थिति है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रतिनियुक्त करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने तथा शिक्षकों को मूल विद्यालय में योगदान कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान के संबंध में

*2736. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के जिला अपीलीय प्राधिकार, भोजपुर के अपीलवाद सं० 88/2010 में दिनांक 17 जनवरी, 2011 को पारित आदेश में मंजु सिंह को नियुक्त करने का आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के आलोक में मंजु सिंह को प्राथमिक विद्यालय, तेतरियां प्रखंड चरपोखरी, जिला भोजपुर में योगदान कराया गया, मंजु सिंह के जगह सोनी कुमारी को वेतन का भुगतान किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित विषय के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुये मंजु सिंह को वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रवृत्ति देना

*2737. श्री अली अशरफ सिद्दिकी (क्षेत्र संख्या-158 नाथनगर)--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वर्ष 2020—22 सत्र के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई परंतु द्वितीय वर्ष एवं वर्ष 2021—23 सत्र के प्रथम वर्ष के अल्पसंख्यक वर्ग के पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी गई और उनके स्टेट्स में लिख दिया गया है कि Your application is permanently rejected due to minority students. यदि हाँ, तो Minority Students रहने के कारण वर्ष 2020—22 सत्र के द्वितीय वर्ष एवं 2021—23 सत्र के प्रथम वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित किये जाने का क्या औचित्य है ?

जाँच करवाना

*2738. श्री भीम कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत केशव सिंह यादव कॉलेज, बारूण के सचिव एवं प्राचार्य द्वारा जारी अनुदान की राशि का 50 प्रतिशत राशि की वसूली कॉलेज कर्मचारियों से की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि छात्र से फॉर्म एवं फीस के लिये सचिव और प्राचार्य द्वारा प्रति छात्र 4 हजार रुपये फीस वसूली जा रही है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्तमान सचिव का कार्यालय दिनांक 19 जून, 2022 को समाप्त हो चुका है, फिर भी उनके द्वारा सचिव के रूप में कार्य किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केशव सिंह यादव कॉलेज, बारूण, औरंगाबाद में हो रही अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*2739. श्री महा नंद सिंह (क्षेत्र संख्या-214 अरवल)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला मुख्यालय भाया एस०एच० मार्ग से बेलखारा, शहर तेलपा, देवकुंड होते हुये गया के लिये बस का परिचालन नहीं होने से यात्रियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पटना से अरवल भाया बेलखारा, शहर तेलपा होते हुये गया के लिये दिन में कम-से-कम तीन बस आवागमन के लिये चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की उम्र सीमा बढ़ाना

*2740. डॉ० रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 2005 के पूर्व सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उम्र 58 वर्ष था और सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों का सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष था ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सेवानिवृत्ति की उम्र 58 से बढ़कर 60 और कॉलेज शिक्षकों एवं कर्मचारियों की उम्र 65 किया गया, परन्तु प्रारंभिक शिक्षकों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62/65 वर्ष नहीं की गयी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रारंभिक/माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षकों की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62/65 करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*2741. श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह (क्षेत्र संख्या-109 दरौंदा)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत प्रखंड सिसवन एवं प्रखंड हसनपुरा में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व में ही दी गयी थी; लेकिन आजतक निर्माण स्थल चिन्हित नहीं किया गया है, जिससे खेल प्रेमियों का भविष्य अंधकारमय हो चुका है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब वर्णित प्रखंडों में जमीन चिन्हित कर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं; तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2742. श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मो0 नजीबुल्लाह पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मधुबनी एवं पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी मो0 नसीम अहमद द्वारा फर्जी विपत्र के आधार पर मो0 14,19,398 रुपये गबन किये जाने संबंधित परिवाद-पत्र जनवरी, 2022 में जिला पदाधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसपर उप-विकास आयुक्त, मधुबनी जाँचों उपरान्त सत्य पुष्टि की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला गोपनीय शाखा, मधुबनी पत्रांक 12-24/2022-4018, दिनांक 20 नवम्बर, 2022 को जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गबन के आरोपी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करना

*2743. डॉक्टर संजीव कुमार (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिला के परवत्ता प्रखंड के कोलबारा पंचायत के वार्ड संख्या 13, पुनौर में प्राथमिक कन्या विद्यालय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मिडिल कन्या स्कूल की दूरी उपर्युक्त स्कूल से 5 किलो मीटर है जिसके कारण छात्राओं को परेशानी होती है और कई छात्राएँ दूरी होने की वजह से मिडिल कन्या स्कूल नहीं जा पाती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता कन्या विद्यालय, पुनौर को मिडिल स्कूल में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*2744. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या-15 केसरिया)--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के पूर्वी सुंदरापुर पंचायत में महादलित बस्ती में कोई सामुदायिक भवन नहीं रहने के कारण महादलित समाज को किसी कार्यक्रम के आयोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त महादलित बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के पूर्वी सुंदरापुर पंचायत में महादलित बस्ती में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 130 है, परन्तु उक्त पंचायत में निर्धारित मानक के अनुसार सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, प्रतिवेदित है ।

कार्रवाई करना

*2745. श्री रत्नेश सादा (क्षेत्र संख्या-74 सोनवर्षा (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के आदर्श उत्क्रमित उच्च विद्यालय, शाहपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अन्तर्गत विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला के लिये सामान क्रय किया जाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा बिना प्रबंध कमिटी के गठन किये हुये पाँच लाख रुपये की राशि की निकासी उक्त कार्य हेतु किया जाना था, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषी पर कबतक कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय बनवाना

*2746. श्री गोपाल रविदास (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ0जा0))--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बहुलता वाली टोला एवं पंचायतों, प्रखंडों में कौशल विकास योजना शिक्षा और पुस्तकालय के माध्यम से उनके शैक्षणिक स्तर एवं रोजगार का बढ़ावा सरकार दे रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फुलवारी विधान सभा के पुनपुन फुलवारी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति टोला/पंचायत और प्रखंडों में एक भी पुस्तकालय नहीं है, जिसके कारण आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पुनपुन एवं फुलवारी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति बहुल जनसंख्या वाले टोला/पंचायत/प्रखंडों में पुस्तकालय बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य करवाना

*2747. श्री इजहारूल हुसैन (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के शीतलपुर पंचायत में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, शीतलपुर का फाउंडेशन लगभग 6 वर्ष पूर्व हुआ था, लिन्टर तक बनने के बाद कार्य अधूरा पड़ा है जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन ठीक करवाना

*2748. श्री रामप्रीत पासवान (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ0जा0))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के उच्च विद्यालय, राघोपुर बलाह, उच्च विद्यालय, केवलपट्टी, उच्च विद्यालय, अन्धराढ़ाढ़ी इत्यादि का शिक्षा विभाग द्वारा उच्च विद्यालय भवन बनाया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन में खिड़की शीशा का लगवाया गया एवं भवन निर्माण बनाने में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके कारण भवन का फर्श टूट गया एवं छत से पानी लीक करता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय के भवन ठीक करवाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैध बालू उठाव रोकना

*2749. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमुई विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न बन्दोबस्त बालू घाटों की बन्दोबस्ती कर बालू खनन के सरकारी मानकों व शर्तों के विरुद्ध तय गहराई और दूरी से अधिक बालू उठाव के कारण जलस्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बालू माफिया और सरकारी पदाधिकारियों के मिलीभगत से मनमाने और अवैध तरीके से बालू उठाव के फलस्वरूप आमतौर पर भीषण गर्मी के मौसम में कम होने वाले जलस्तर दो-तीन माह पूर्व ही कम हो रहे हैं, जिसके कारण गाँवों, शहरों में समय से पहले ही बोरिंग और चापाकल विफल हो रहे हैं और पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो चुकी है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध व अनियमित बालू उठाव पर रोक लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय की स्थापना

*2750. श्री बच्चा पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-110 बडहरिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के बड़हरिया प्रखंड में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है, जिस कारण सभी बालिकायें मैट्रिक/इंटरमीडिएट के बाद आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करने के कारण सामाजिक एवं वैवाहिक जीवन में पिछड़ती जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार प्रश्नाधीन प्रखंड मुख्यालय में महिला डिग्री महाविद्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

एरियर का भुगतान

*2751. श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या-29 रून्नीसैदपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय का अंगीभूत जंग बहादुर सिंह घनौर बकुची कटरा, मुजफ्फरपुर के शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त चन्देश्वर नारायण सिंह को दिनांक 28 जून, 2006 से सिंडिकेट से स्वीकृति प्रदान कर दिनांक 26 जुलाई, 2015 को पत्र निर्गत किया गया, परंतु शेष एरियर का भुगतान नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 27 जुलाई, 2015 से दिनांक 31 अक्तूबर, 2015 तक तीन महीना का भुगतान किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दिनांक 28 जून, 2006 से 26 जुलाई, 2015 तक के शेष राशि का एरियर भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्वतंत्र अस्तित्व देना

*2752. श्री विनय कुमार चौधरी (क्षेत्र संख्या-80 बेनीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के वैसे प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय जिसके पास जमीन उपलब्ध नहीं था, को दूसरे विद्यालय में समायोजित कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर विधान सभा सहित जिला के कई विद्यालयों (न्यू प्राथमिक विद्यालय, चतरिया) के लिए कई भूमिदाता द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का लिखित पत्र अंचलाधिकारी/शिक्षा विभाग को तीन वर्ष पूर्व गया है ;

(3) यदि हाँ, तो सरकार विद्यालय के लिए भूमिदाताओं को पुन: स्वतंत्र अस्तित्व देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सत्यापन एवं जांच कराना

*2753. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 600 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के शिक्षकों के प्रमाण-पत्र का सत्यापन नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो क्या सरकार मोतिहारी सहित पूरे चम्पारण का शिक्षकों का प्रमाण-पत्र नियम अनुसार सत्यापन एवं जांच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड निर्माण कराना

*2754. श्री मोहम्मद कामरान (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिला अंतर्गत कौवाकोल प्रखंड एक बड़ी आबादी वाला प्रखंड है और यहां से पटना, रांची, नवादा, कोलकाता, धनबाद आदि जगहों के लिए बस का परिचालन होते रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलो मीटर की दूरी पर है लेकिन वहां स्थायी बस स्टैंड नहीं होने से यात्रियों की यातायात में काफी असुविधा होती है और हमेशा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में बस स्टैंड निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2755. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 से राज्य में बालू खनन के भ्रष्टाचार के लिए कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी थी जिसमें तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद भी थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2021 में तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा बालू माफियाओं के साथ संलिप्तता पायी गयी थी और उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनका स्थानांतरण कर दिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभाग के उच्च पदाधिकारियों के दबाव के कारण तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी, औरंगाबाद पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई और उन्हें अच्छे पद पर पदस्थापित कर दिया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार औरंगाबाद के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँच कराकर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

बस चलाना

*2756. श्री विद्या सागर केशरी (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड से 30 किलो मीटर की दूरी पर ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध बाबा सुंदरनाथ धाम (सुंदरी मठ) अवस्थित है, जहाँ प्रतिदिन हजारों लोग एवं शिवरात्रि मेला तथा सावन माह में लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फारबिसगंज से सुंदरी मठ जाने-आने के लिए कोई सरकारी बस (परिवहन) की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को आवागमन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार फारबिसगंज से सुंदरी मठ जाने हेतु भाया जोगबनी रेलवे गुमटी से होकर, निरपुर, कुशमाहा बाजार, तरगामा गोदाम, मेहंदीपुर, रजौला होते हुए बाबा सुंदरनाथ धाम तक प्रतिदिन बस चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिम एवं पार्क निर्माण करवाना

*2757. डॉ0 निक्की हेम्ब्रम (क्षेत्र संख्या-162 कटोरिया (अ0 ज0 जा0))--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बांका जिला अन्तर्गत कटोरिया प्रखंड मुख्यालय-सह-नगर पंचायत कटोरिया में गोस्वामी टोला विवाह भवन एवं बौंसी प्रखंड मुख्यालय-सह-बौंसी नगर पंचायत में आगरा नदी छठ घाट के पास खुला जिम एवं पार्क निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड मुख्यालय-सह-नगर पंचायतों में युवाओं को शारीरिक विकास सहित बड़े-बुजुर्गों को सुबह टहलने हेतु कोई जिम एवं पार्क नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों प्रखंड-सह-नगर पंचायतों के परिसर में खुला जिम एवं पार्क निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बालू उठाव रोकना

*2758. सुश्री श्रेयसी सिंह (क्षेत्र संख्या-241 जमुई)--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नदियों से निकल रहे सिंचाई पईन और नहरों के स्रोत के 100 मीटर दायरे से बालू उठाव करना प्रतिबंधित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बालू घाटों पर सिंचाई पईन और नहरों के स्रोतों के 100 मीटर के दायरे के अंदर से बालू उठाव किया जा रहा है। जिससे पईन और नहरों के स्रोत नष्ट होने और उनमें सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी नदी घाटों पर पईन और नहरों के स्रोतों के 100 मीटर दायरे में बालू उठाव रोकने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कोड आवंटित करना

*2759. श्री राजवंशी महतो (क्षेत्र संख्या-141 चेरिया बरियारपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत हरिहर महतो उच्च विद्यालय, अमारी, छौड़ाही सत्र 1985 ई0 से निरंतर संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा उक्त विद्यालय की इंटरस्तरीय कोड की मान्यता समाप्त कर दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त उच्च विद्यालय को इंटरस्तरीय कोड आवंटित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

*2760. श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र संख्या-57 बायसी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के डगरूआ प्रखंड अन्तर्गत मो० इम्तियाज मदरसा विद्यालय मंजरे इस्लाम, हरखेली पोषक विद्यालय प्रा०वि०, केचुआ अंचल डगरूआ में मकतब/मदरसा शिक्षा स्वयं सेवकों के पद पर 2008 में चयन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त शिक्षा स्वयं सेवक को बिहार शिक्षा परियोजना (पूर्णियाँ) द्वारा 10 दिवसीय आवासीय मदरसा/मकतब शिक्षा स्वयं सेवक/सेविंका प्रशिक्षण प्रखंड संसाधन केन्द्र, बी०कोठी में दिनांक 26 नवम्बर, 2008 से 15 दिसम्बर, 2008 तक प्रशिक्षण दिया गया था ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मो० इम्तियाज मदरसा विद्यालय मंजरे इस्लाम, हरखेली पोषक विद्यालय प्रा०वि०, केचुआ अंचल डगरूआ में मकतब/मदरसा शिक्षा स्वयं सेवकों का समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

इनडोर स्टेडियम का निर्माण

*2761. श्रीमती नीतु कुमारी (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के हिसुआ विधान सभा के अन्तर्गत नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में बैडमिटन, इनडोर स्टेडियम मैट सहित नहीं रहने के कारण लड़कों एवं लड़कियों को खेलने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नगर परिषद् शहरी क्षेत्र में बैडमिंटन, इनडोर स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है।

नगर परिषद् स्तर पर इण्डोर स्टेडियम निर्माण से संबंधित कोई योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

स्टेडियम का निर्माण

*2762. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखण्ड स्थित भागवत ठाकुर उच्च विद्यालय, किशनपुर के परिसर के बगल में विद्यालय के ही खेल मैदान है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है समस्तीपुर जिला अन्तर्गत वारिसनगर प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव की माँग जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से विभागीय पत्रांक 365, दिनांक 15 मार्च, 2023 द्वारा की गयी है।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

पठन-पाठन सुचारू ढंग से चलवाना

*2763. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के बनमनखी प्रखंड अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, हरि टोल, प्राथमिक विद्यालय, तीर्थरामटोल, काझी, प्राथमिक विद्यालय, जगदीशपुर (अ०जा०) और प्राथमिक विद्यालय, नुनूराय लाल टोल, लादूगढ़ इत्यादि ये सभी विद्यालय भवनहीन हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त विद्यालय भवनहीन होने के कारण विद्यार्थियों का पठन-पाठन का कार्य सुचारू ढंग से नहीं हो रहा है जबकि विद्यालय के पास भूमि उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के लिये भवन का निर्माण कर पठन-पाठन सुचारू ढंग से चलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2764. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड अन्तर्गत सुखासन पंचायत वार्ड नं० 8 महादलित टोला के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, सुखासन का भवन नहीं रहने के कारण पठन-पाठन एवं शिक्षण कार्य में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वर्णित विद्यालय के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*2765. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के बैकुण्ठपुर विधान सभा के फैजुल्लाहपुर पंचायत के फैजुल्लाहपुर ग्राम के के०एन० शर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिससे छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन में कठिनाई होती है, जबकि विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित विद्यालय का नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कमरों एवं शौचालय का निर्माण

'ग'-*2766. श्री अशोक कुमार (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा नगर परिषद् के वार्ड सं० 26 स्थित खैरा दरगाह में खास बाबा जी का मजार पर सैकड़ों सालों से सभी धर्म के लोग अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिये दूर-दूर से आते रहें हैं और रात को यहाँ ठहरने के लिये अबतक कोई व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सामाजिक तथा धार्मिक सौहार्द बनाये रखने के लिये मशहूर इस खैरा दरगाह की रख-रखाव के साथ लोगों के रात्रि विश्राम के लिये कमरों एवं शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है ?

नोट— 'ग'- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से पर्यटन विभाग में स्थानान्तरित ।

नियमित पढ़ाई कराना

*2767. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में यू०आर० कॉलेज स्थित है, में वाणिज्य, भूगोल, संस्कृत, संगीत एवं गृह विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में उक्त विषयों की नियमित पढ़ाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*2768. श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी (क्षेत्र संख्या-240 सिकन्दरा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा प्रखंड स्थित पंचायत मंजोस के ग्राम-कोनन में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मात्र दो कमरा है जो जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन करने में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का नया विद्यालय भवन निर्माण कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापना करना

*2769. श्री अनिल कुमार (क्षेत्र संख्या-24 बथनाहा (अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखंड अंतर्गत बहेरा पंचायत के वार्ड सं० 1 में विश्वम्भरपुर, नन्हकार प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण 15 लाख की लागत से हुआ जो बंद पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय में तीन वर्षों से एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक का पदस्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अयाची महोत्सव मनाना

*2770. श्री सुधांशु शेखर (क्षेत्र संख्या-31 हरलाखी)--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, मधुबनी ने अपने ज्ञापांक 325/जि०वि०, दिनांक 19 अप्रील, 2018 के माध्यम से प्रधान सचिव कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखकर मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के सरिसवपाही ग्राम में अयाची महोत्सव आयोजित करने तथा उसे राजकीय दर्जा जाने की मांग की थी, यदि हाँ, कबतक सरकार अयाची महोत्सव मनाने एवं उसे राजकीय दर्जा दिये जाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय खोलना

*2771. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा प्रखंड के द्वासे ग्राम पंचायत के आदिवासी बाहुल्य केलाबाड़ी टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिससे उक्त टोला छात्र-छात्राओं को काफी कठिनाई होती है है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुदान की राशि देना

*2772. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में दिनांक 01 सितम्बर, 2020 के बाद सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को पूर्व से मिलने वाली अनुग्रह अनुदान के रूप में चार लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान को खत्म कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 01 सितम्बर, 2020 के बाद मृत वैसे शिक्षकों जिनका कर्मचारी भविष्य निधि में 12 माह से कम की कटौती की गयी है उनके आश्रितों को मिलने वाले इपीएफ के तहत इ०डी०एल०आई० से मिलने वाली राशि सात लाख रुपये का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि देने के प्रावधान का पुनः बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन-सह-शेड निर्माण

*2773. श्री दिलीप राय (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत चोरौत पश्चिमी पंचायत वार्ड नं० 05 के भरपूरवा कॉलोनी में लगभग 200 से ज्यादा महादलित परिवार है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलोनी में सामुदायिक भवन नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि यहां खाता संख्या 4361, खेसरा संख्या 12113, रकबा 6 डिसमिल जमीन सामुदायिक भवन निर्माण हेतु उपलब्ध है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सामुदायिक भवन-सह-शेड निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*2774. श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति के शिक्षक श्री लालजी कुमार, रा०म०वि०, सैदपुर, महेन्द्रु पटना को जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना, श्री अमित कुमार एवं लिपिक श्री संजय कुमार के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, उक्त प्रताड़ना के विरुद्ध एस०सी०/एस०टी० थाना गर्दनीबाग, पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना श्री अमित कुमार एवं लिपिक श्री संजय कुमार के विरुद्ध प्राथमिक सं० 41/22 दर्ज की गई है दर्ज प्राथमिकी के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना ज्ञापांक 1735, दिनांक 19 नवम्बर, 2022 के द्वारा श्री संजय कुमार, लिपिक को निलंबित किया गया तथा मात्र 2 दिनों के अंदर निलम्बनादेश ज्ञापांक 1740, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 द्वारा रद्द कर दिया गया, रद्द किये गये निलम्बनादेश बिहार सी०सी०ए० रूल, 2005 के नियम 17 एवं 18 उल्लंघन है, यदि हाँ, तो सरकार श्री संजय कुमार, लिपिक के निलंबनादेश को पुनर्बहाल कर दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारंभ कराना

*2775. श्री संजय कुमार गुप्ता (क्षेत्र संख्या-30 बेलसंड)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के शिवहर जिला तक राज्य परिवहन विभाग की कोई बस का परिचालन नहीं है, जिसके कारण वहां के स्थानीय एवं आमजनों को यातायात में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों जगहों के बीच सरकारी बस की सेवा प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2776. श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या-13 हरसिद्धि(अ०जा०))--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के ग्राम पंचायत मानिकपुर में रा०उ० उच्च विद्यालय, हसुआहाँ में चहादीवारी नहीं रहने से आवारा पशुओं का चारागाह बनकर रह गया है जिसमें छात्राएँ असुरक्षित और पठन-पाठन में भी काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय का चहारदीवारी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा प्रारम्भ कराना

*2777. श्री उमाकांत सिंह (क्षेत्र संख्या-7 चनपटिया)--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत मझौलियाँ प्रखंड का तिरवाह का इलाका सरिसवा समेत 10 से 12 पंचायत पिछड़ा क्षेत्र है । उक्त पंचायतों की बस स्टैंड से दूरी 25 से 30 किली मीटर पड़ता है तथा इस इलाके के लोगों को राजधानी पटना में इलाज या कोई अन्य कार्यों के लिये रात्रि के समय पटना आने हेतु बस पकड़ने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सरिसवा बाजार से पटना आने के लिये सरकारी बस आरंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*2778. श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र संख्या-149 खगडिया)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर का चहारदीवारी नहीं रहने तथा मिट्टी भराई नहीं होने के कारण बच्चों की क्रीड़ा संस्कृति के लिये सुरक्षित एवं उपयुक्त नहीं रह गया है, यदि हाँ, तो सरकार महाविद्यालय प्रांगण की चहारदीवारी एवं मिट्टी भराई कराने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का निबंधन कराना

*2779. श्री सुदामा प्रसाद (क्षेत्र संख्या-196 तरारी)--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अंतर्गत सहार प्रखंड की जमीन का निबंधन पीरो अनुमंडल में होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहार से आरा की दूरी पीरो से कम है और आरा आने-जाने में सुविधा भी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में सहार की जमीन का निबंधन आरा निबंधन कार्यालय में करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 28 मार्च, 2023 (ई०) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु०-107 (एल०ए०), 2022-23 डी०टी०पी०-550